रजिस्ट्री सं॰ डी०-33004/99



REGD. NO. D. L.-33004/99

Ine Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	38]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2013/माघ 24, 1934
No.	38]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2013/MAGHA 24, 1934

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 7 फरवरी, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/3/61/2013.— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) की धारा 14 और धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिर्खित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2013 कहलाएँगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाए

विनियम 2(छ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा : (छ) ''*भारतीय प्रवर्तक*'' से अभिप्रेत है----

- कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई कंपनी, जो उस अधिनियम की धारा 4 में दी गई परिभाषा के अनुसार सहायक संस्था नहीं है;
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (4अ) में दी गई परिभाषा के अनुसार बैंकिंग कंपनी परंतु इसमें भारत में कार्यरत कोई विदेशी बैंक अथवा उसकी शाखा शामिल नहीं है;
- (iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4अ में दी गई परिभाषा के अनुसार सरकारी वित्तीय संस्था;
- (iv) वर्तमान में प्रचलित किसी भी संबंधित कानून के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति;
- (v) व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है अथवा व्यक्तियों का समूह जो भारतीय नागरिक हैं; अथवा

 (vi) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का [6]) के अधीन बनाई गई सीमित देयता भागीदारी जिसमें कोई भी भागीदार विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) (फेमा) की धारा 2 के खंड (ब) में दी गई परिभाषा के अनुसार अनिवासी संस्था/भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति नहीं है; तथा उसके अधीन पंजीकृत विदेशी सीमित देयता भागीदारी नहीं है;

विनियम 11 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

2

- 11. विदेशी कंपनी द्वारा धारित छब्बीस प्रतिशत ईक्विटी पूँजी के परिकलन की विधि :-
 - (1) उक्त अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, आवेदक कंपनी में विदेशी कंपनी द्वारा स्वयं अखवा अपनी सहायक कंपनियों अखवा अपने नामितियों के माध्यम से (इसके बाद विदेशी निवेशक के रूप में उल्लिखित) ईक्विटी शेयरों की धारिता का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा और वह निम्नलिखित का कुल योग होगा :-
 - (i) आवेदक कंपनी में विदेशी कंपनी द्वारा स्वयं अथवा अपनी सहायक कंपनियों अथवा नामितियों के माध्यम से धारित चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी की प्रमात्रा;
 - (ii) आवेदक कंपनी में अन्य विदेशी निवेशकों, अनिवासी भारतीयों, विदेशी कारपोरेट निकायों और बहुराष्ट्रीय एजेसियों द्वारा धारित चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी की प्रमात्रा; और
 - (iii) विनियम 2 के खंड (छ) के उप-खंड (i) अथवा उप-खंड (vi)में उल्लिखित भारतीय प्रवर्तक की कुल निर्गमित ईक्विटी पूँजी की तुलना में इस उप विनियम के उप-खंड (i) और (ii) में उल्लिखित श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा धारित अथवा नियंत्रित चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी के अनुपात से निरूपित प्रमात्रा।

स्पष्टीकरण : ऊपर उल्लिखित परिकलन के प्रयोजनों के लिए, जिस सीमा तक विदेशी संस्थागत निवेशकों और भारतीय म्युच्युअल फंडों के निवेश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अपने नियमों, विनियमों अथवा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अनुमोदित सीमाओं के भीतर हैं, उस सीमा तक आवेदक के विदेशी प्रवर्तकों और उनकी सहायक संस्थाओं और नामितियों, एवं भारतीय म्युच्युअल फंडों को छोड़कर, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय प्रवर्तक मे ईक्विटी की धारिताओं को हिसाब में लेने की आवश्यकता नहीं है।

- (2) प्रत्येक बीमाकर्ता जिसे उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया है, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्राधिकरण को अपनी कंपनी के शेयरों तथा प्रवर्तक के शेयरों की धार्रितों में निर्गमित पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक परिवर्तनों को निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (3) अर्थनिर्णय : इस विनियम का अर्थनिर्णय प्राधिकरण का होगा, जिनका निर्णय सभी विषयों के संबंध में सभी आवेदको/बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा और अंतिम होगा ।

जे. हरि नारायण, अध्यक्ष [विज्ञापन III/4/161/12/असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 7th February, 2013

Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) (Fourth Amendment) Regulations, 2013

F. No. IRDA/Reg./3/61/2013.— In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

Short title and commencement

- 1. (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies)-(Fourth Amendment) Regulations, 2013
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

Regulation 2 (g) shall be substituted with the following:

- (g) "Indian promoter" means and includes --
 - a company formed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), which is not a subsidiary as defined in section 4 of that Act;
 - a banking company as defined in sub-section (4A) of section 2 of the Act but does not include a foreign bank or branch thereof functioning in India;
 - (iii) a Public financial institution as defined in section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
 - (iv) a co-operative society registered under any relevant law for the time being in force;
 - (v) a person, who is an Indian citizen or a combination of persons who are Indian citizens;
 - (vi) a limited liability partnership formed under the Limited Liability Partnership, Act, 2008 ([6] of 2009) with no partner being a non-resident entity/person resident outside India as defined in clause (w) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) FEMA; and not being a foreign limited liability partnership registered thereunder;

Regulation 11 shall be substituted with the following:

- 11. Manner of calculation of twenty six per cent equity capital held by a foreign company .---
 - (1) For the purposes of the Act and these Regulations, the calculation of the holding of equity shares by a foreign company either by itself or through its subsidiary companies or its nominees (hereafter referred to as foreign investor) in the applicant company, shall be made as under and shall be aggregate of:-
 - (i) the quantum of paid up equity share capital held by the foreign company either by itself or through its subsidiary companies or nominees in the applicant company;
 - (ii) the quantum of paid up equity share capital held by other foreign investors, non-resident Indians, overseas corporate bodies and multinational agencies in the applicant company; and
 - (iii) the quantum represented by that proportion of the paid up equity share capital to the total issued equity capital of an Indian promoter mentioned in sub-clause (i) or sub-clause (vi) of clause (g) of regulation 2 held or controlled by the category of persons mentioned in suh-clauses (i) and (ii) of this sub regulation.

Explanation: For purposes of calculation referred to above, account need not be taken of the holdings of equity in an Indian promoter held by foreign institutional investors, other than the foreign promoters of the applicant and their subsidiaries and nominees, and Indian mutual funds to the extent the investment of foreign institutional investors and Indian mutual funds are within the approved limits laid down by the Securities and Exchange Board of India under its rules, regulations or guidelines issued from time to time.

- (2) Every insurer who has been granted registration under the Act shall, within 15 days of the end of every quarter, furnish to the Authority a statement indicating changes exceeding 1% of the issued capital in the holding of the shares in his company and those of the promoter.
- (3) Interpretation: The interpretation of this regulation will be that of the Authority, whose decision on all issues will be binding on all applicants/insurers and will be final.

J. HARI NARAYAN, Chairman [ADVT. III/4/161/12/Exty.] 3